[2018] 4 एस. सी. आर 843

बाइमल गुरंगिंग

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2017 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 182)

मार्च 16,2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

जाँच: स्वतंत्र एजेंसी को जांच का हस्तांतरण-जांच को स्थानांतरित करने के लिए शक्ति का प्रयोग दुर्लभ और असाधारण मामलों में होना चाहिए जहां अदालत को पक्षों के बीच न्याय करने और जनता के मन में विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक लगता है या जहां राज्य पुलिस द्वारा जांच का अभाव है। विश्वसनीयता और यह एक निष्पक्ष, ईमानदार और पूर्ण जांच के लिए आवश्यक है और जब राज्य एजेंसियों के निष्पक्ष कामकाज में जनता का विश्वास बनाए रखना अनिवार्य हो।

जाँच: केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच का हस्तांतरण-सभी एफ. आई. आर. एस. की जांच को स्थानांतरित करने के लिए लिखित याचिका

याचिकाकर्ता और गोरखा जनमुक्ति के अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया

मोर्चा (जी. जे. एम.) ने एक स्वतंत्र जांच एजेंसी को-आई. पी. सी., संपत्ति विनाश रोकथाम अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, डब्ल्यू. बी. एम. पी. ओ. अधिनियम और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों से संबंधित एफ. आई. आर.-याचिकाकर्ता का मामला यह था कि घोरखालैंड के लिए अलग राज्य के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल राज्य के बीच गतिरोध के आलोक में, जी. जे. एम. के कई प्रमुख नेताओं और सदस्यों को झूठे मामलों में फंसाया गया था और उनकी सुरक्षा और जीवन के लिए एक आसन्न खतरा था-स्थानांतरण के लिए प्रार्थना इस आधार पर थी कि याचिकाकर्ता और जी. जे. एम. के सभी सदस्यों के खिलाफ पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह था और जी. जे. एम. के सदस्यों के खिलाफ की गई जांच स्पष्ट रूप से राजनीति से प्रेरित थी-आयोजित: रिकॉर्ड बताते हैं

पुलिस कर्मियों सहित कई व्यक्तियों को दोनों पक्षों द्वारा भर्ती किया जाता है - याचिकाकर्ता और जीजेएम के अन्य सदस्यों के नाम बड़ी संख्या में मामलों में सामने आए-राज्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के लिए बाध्य है-पुलिस या अन्य शिकायतकर्ताओं के कहने पर प्रस्तुत प्राथमिकी में दर्ज मामलों को इस विशिष्ट याचिका पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि

वे राज्य के पक्षपात के कारण और याचिकाकर्ता को प्रताड़ित करने के इरादे से दर्ज किए गए हैं-किसी भी व्यक्तिगत राज्य पदाधिकारी या पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह या दुर्भावना नहीं जताई गई है और न ही किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ।

ऐसे व्यक्ति को रिट याचिका में शामिल किया गया है ताकि पक्षपात के आरोप पर विचार किया जा सके-मामले के तथ्यों में, यह एक उपयुक्त मामला नहीं है

Art.32 के तहत मामलों को सामूहिक रूप से स्थानांतरित करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें एक स्वतंत्र एजेंसी।

सार्वजनिक कार्यकर्ता: कर्तव्य और शक्तियाँ

"राज्य"

एक है

संवैधानिक कर्तव्यों और दायित्वों के साथ निहित राजनीतिक इकाई-राज्य का राज्यपाल औपचारिक रूप से उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें

राज्य की कार्यकारी शक्ति उसके द्वारा निहित और प्रयोग की जाती है।

भारत के संविधान के अनुसार सीधे या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से-संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II, प्रविष्टि I के तहत, "सार्वजनिक व्यवस्था" राज्य को आवंटित एक विषय है-जनता के संदर्भ में सभी विधायी और कार्यकारी शक्तियां।

इस प्रकार आदेश राज्य में निहित है-राज्य अपने माध्यम से कार्य करता है विभिन्न कार्मिकों और अधिकारियों से युक्त विभिन्न अंग

राज्य के अधिकारियों के पास क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों के तहत उन्हें सौंपे गए अपने अधिकार और दायित्व हैं।

पुलिस प्रशासन: कर्तव्य और शक्तियाँ-- प्राधिकरण

और पुलिस अधिकारी, जिन्हें विभिन्न दायित्व सौंपे गए हैं और

दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्य, संहिता द्वारा निर्धारित के रूप में कार्य करना पड़ता है-यह पुलिस अधिकारियों का दायित्व है कि

जब उन्हें कोई जानकारी मिलती है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें संज्ञेय अपराध करने के संबंध में-ऐसे अपराध को दर्ज करने के लिए

अपराध, उन्हें न तो किसी भी निर्देश की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है

कोई प्राधिकरण या राज्य और न ही उन्हें अपने दायित्व का त्याग करना होगा

Cr.P.C द्वारा आवश्यकतानुसार एफ. आई. आर. पंजीकृत करें।

भारत का संविधान: कलाएँ। 19 (1) (ए) और (बी)-रखने का अधिकार

सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार जिसमें सार्वजनिक प्रदर्शन करना भी शामिल है लेकिन सार्वजनिक

जब प्रदर्शन हिंसक हो जाता है और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है और लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचाता है, तो यह Art.19 (1) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों से परे चला जाता है और कानून के तहत दंडनीय अपराध बन जाता है।

रिट याचिका खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1. कानून अच्छी तरह से तय किया गया है कि बीमल गुरुंग v को स्थानांतरित करने की शक्ति।

भारत और ओआरएस का संघ।

दुर्लभ और असाधारण मामलों में जहां न्यायालय को जनता के मन में विश्वास पैदा करने के लिए पक्षों के बीच न्याय करना आवश्यक लगता है, या जहां राज्य पुलिस द्वारा जांच में विश्वसनीयता का अभाव है, अन्य जांच एजेंसियों को जांच का उपयोग किया जाना चाहिए। [पैरा 26] [862-सी]

के. वी. राजेंद्रन बनाम पुलिस अधीक्षक, सी. बी. सी. आई. डी. दक्षिण क्षेत्र, चेन्नई (2013) 12 एस. सी. सी. 480: [2013] 9 एस. सी. आर. 199 पर निर्भर

2. अनुच्छेद 19 व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण विशेषताओं की रक्षा करता है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ-साथ शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार उन अधिकारों की अभिव्यक्ति है जिनकी अभिव्यक्ति कई अवसरों पर प्रदर्शन करने में परिलक्षित होती है। बोलने की स्वतंत्रता शब्द का व्यापक रूप से अर्थ शब्द या मुँह से या श्रव्य दृश्य उपकरण के माध्यम से एक बार देखने के अधिकार को शामिल करने के लिए किया जाना चाहिए। सार्वजनिक भाषण का अधिकार अभिव्यक्ति का एक रूप है जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी एक हिस्सा है। प्रदर्शन भी अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत अधिकारों की अभिव्यक्ति का एक तरीका है। प्रदर्शन चाहे राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक या अन्य प्रदर्शन हों जो सार्वजनिक गड़बड़ी पैदा करते हैं या उपद्रव के रूप में काम करते हैं, या

सार्वजनिक या निजी शरारत पैदा करना, अनुच्छेद 19 (1) के तहत संरक्षण के दायरे में नहीं आता है। एक प्रदर्शन एक सभा का रूप ले सकता है और फिर भी इरादा उस व्यक्ति या प्राधिकारी को व्यक्त करना है जिसे संचार का उद्देश्य उस समूह की भावनाओं को व्यक्त करना है जो इकट्ठा होता है। चीजों की प्रकृति से एक प्रदर्शन विभिन्न रूप ले सकता है; "यह शोर और अव्यवस्थित हो सकता है", उदाहरण के लिए भीड़ द्वारा पथराव को हिंसक और अव्यवस्थित प्रदर्शन के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है और यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 19 (1) (ए) या (बी) के भीतर नहीं होगा। [पैरा 28] [862-जी-एच; 863-ए-डी]

अनीता ठाकुर और अन्य बनाम। जम्मू और कश्मीर सरकार और अन्य (2016) 15 एस. सी. सी. 525-पर निर्भर थे।

3.1 कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश से संकेत मिलता है कि दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में स्थितियां थीं

बिगड़ते और विद्रोह और हिंसक आंदोलन बेरोकटोक जारी रहे और विरोध अब शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक नहीं रहा। विभिन्न प्राथमिकियों में लगाए गए आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है जैसा कि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है।

रिकॉर्ड में जीवन और संपत्ति को गंभीर नुकसान का संकेत देने के लिए पर्याप्त सामग्री है। यह कल्पना नहीं की जा सकती कि पश्चिम बंगाल की राज्य पुलिस ने स्वयं पुलिस वाहनों सहित संपत्ति को केवल लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करने के उद्देश्य से नष्ट किया है।

याचिकाकर्ता और उसके समर्थक। पुलिस कर्मियों सहित कई व्यक्तियों की मौत दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार की गई है। इन मामलों में आरोप लगाए गए अपराध गंभीर अपराध हैं जिनमें शामिल हैं - धारा 121,121ए, 153ए के तहत अपराध और गैरकानूनी अधिनियम, 1967 के तहत अपराध के साथ-साथ आईपीसी की धारा 307,302 आदि के तहत अपराध। इतनी बड़ी संख्या में मामलों की जांच का हस्तांतरण न तो व्यावहारिक है और न ही उचित है। मामलों की जांच के हस्तांतरण के संबंध में अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों पर किया जाना चाहिए। [पारस 37-39] [868-G-H; 869-A, C-D]

3.2 वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है जिसमें जीजेएम के नेता के रूप में याचिकाकर्ता राज्य के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है एक अलग राज्य-हुड की मांग। राज्य बनाए रखने के लिए बाध्य है

कानून और व्यवस्था और नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। इसे इस तरह के आंदोलन को रोकने और शांति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। मामले में दर्ज की गई एफ. आई. आर. में दर्ज मामले पुलिस या अन्य शिकायतकर्ताओं की उन विशिष्ट दलीलों पर खारिज नहीं किया जा सकता है जो उन्हें राज्य के पक्षपात के कारण और याचिकाकर्ता को प्रताड़ित करने के इरादे से दर्ज की गई हैं। "राज्य" एक राजनीतिक इकाई है जिसमें संवैधानिक कर्तव्य और दायित्व निहित हैं। राज्य का राज्यपाल औपचारिक रूप से उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित है और उसका प्रयोग या तो प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है।

भारत के संविधान के अनुसार। राज्य के अधिकारियों के पास क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों के तहत उन्हें सौंपे गए अपने अधिकार और दायित्व हैं। दंड प्रक्रिया संहिता ऐसे कानूनों में से एक है, जो दंड प्रक्रिया से संबंधित कानून को नियंत्रित करती है। जिन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अलग-अलग दायित्व और कार्य सौंपे गए हैं, उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित कार्य करना पड़ता है। पुलिस अधिकारियों का यह दायित्व है कि जब उन्हें किसी संज्ञेय अपराध के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो वे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें। ऐसे अपराधों को दर्ज करने के लिए, उन्हें न तो किसी प्राधिकरण या राज्य के किसी निर्देश की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है और न ही उन्हें अपने दायित्व का त्याग करना पड़ता है।

भारत और ओआरएस का संघ।

वर्तमान मामले में, न तो कोई अभिवचन है और न ही इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री है कि पुलिस अधिकारियों सहित राज्य के पदाधिकारी याचिकाकर्ता के खिलाफ पक्षपाती हैं। इस प्रकार, राज्य और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ किए गए पक्षपात के आरोपों को खारिज करना पड़ा और याचिकाकर्ता को खारिज नहीं किया जा सकता है। यह कहने की अनुमति है कि उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियां राज्य या पुलिस कर्मियों के पक्षपात का परिणाम हैं। [पैरा 41] [869-जी-एच; 870-ए-ई, जी-एच; 871-ए-बी]

ललिता कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य। (2014) 2 एससीसी 1: [2013] 14 एस. सी. आर. 713-अनुसरण किया गया।

अनुच्छेद 32-मामलों को एक स्वतंत्र एजेंसी को हस्तांतरित करना। वर्तमान मामले को राज्य प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति के उत्पीड़न का मामला नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 46] [874-सी-एफ]

पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम। लोकतांत्रिक अधिकार संरक्षण समिति, पश्चिम बंगाल और अन्य (2010) 3 एस. सी. सी. 571: [2010] 2 एस. सी. आर. 979-अनुसरण किया गया।

धरम पाल बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य (2016) 4 एस. सी. सी. 160 [2016] 1 एस. सी. आर. 194-आंशिक रूप से अप्रयोज्य।

मिथलेश कुमार सिंह बनाम। राजस्थान राज्य और अन्य [2018] 4 एस. सी. एफ.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2015) 9 एस. सी. सी. 795; संजीव कुमार बनाम भारत संघ और अन्य (2005) 5 एससीसी 510-प्रतिष्ठित।

भरत कुमार बनाम। केरल राज्य और अन्य। एयर 1997 केर। 291 ; भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एम) v. भरत कुमार

& ओआरएस। (1998) 1 एससीसी 201: [1997] 5 पूरक। एससीआर 131;

जेम्स मार्टिन बनाम। केरल राज्य (2004) 2 एससीसी 203:

[2003] 6 पूरक। एस. सी. आर. 910 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[2010] 2 एससीआर 979

पीछा किया।

पैरा 17

(2005) 5 एस. सी. सी. 510

प्रतिष्ठित

पैरा 17

[2016] 1 एससीआर 194

पैरा 17

आंशिक रूप से अप्रयोज्य

(2015) 9 एस. सी. सी. 795

प्रतिष्ठित

पैरा 17

[2013] 9 एससीआर 199

उस पर भरोसा करें

पैरा 26

संदर्भित किया गया है

एयर 1997 केर। 291

पैरा 29

[1997] 5 पूरक। एससीआर 131

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

[2003] 6 पूरक। एससीआर 910

पैरा 31

संदर्भित किया गया है

(2016) 15 एस. सी. सी. 525

उस पर भरोसा करें

पैरा 32

[2013] 14 एससीआर 713

पीछा किया।

पैरा 41

आपराधिक मूल न्यायनिर्णय:

पे

टिटिक लिखें

(आपराधिक) 2017 की संख्या 182।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत। पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री नताशा डालमिया, हर्षिका वर्म

साक्षी कक्कड़, सोमिरन शर्मा, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

सुश्री वी. मोहना, कपिल सिब्बल, ए. एम. सिंघवी, राकेश द्विवेदी

कल्याण बनर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एस. वसीम ए. कादरी, सुश्री माधवी दिवा

सुश्री निधि खन्ना, आयुष पुरी, मुकेश कुमार मरोरिया, सुहा मुखर्जी, कुणाल चटर्जी, राजा चटर्जी, सुश्री नंदनी मुखर्जी, चंचल कुमार गांगुली, पीयूष सचदेव, अदील अहमद, सुश्री रू भुइयां, सुश्री नंदिनी सेन मुखर्जी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे. याचिकाकर्ता, गोरकल के अध्यक्ष

जनमुक्ति मोर्चा (जिसे इसके बाद "जी. जे. एम". के रूप में संदर्भित किया गया है) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह डब्ल्यू याचिका दायर की है जिसमें हस्तांतरण के लिए प्रार्थना की गई है।

भारत और ओआरएस का संघ। [अशोक भूषण, जे।]

नीर और जीजेएम के अन्य सदस्य, किसी भी स्वतंत्र जांच के लिए 7. रिट याचिका में, निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की गई हैं

निरः

" ए. वर्तमान याचिकाकर्ता और जीजेएम के अन्य सदस्यों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकियों की जांच, जिसका विवरण अनुलग्नक पी-4 में दिया गया है, पश्चिम बंगाल पुलिस से एनआईए जैसी किसी भी स्वतंत्र जांच एजेंसी को हस्तांतरित करें। सी. बी. आई. या कोई अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी जो पश्चिम बंगाल सरकार के नियंत्रण में नहीं है; और बी. वर्तमान याचिकाकर्ता और जीजेएम के अन्य सदस्यों के खिलाफ दर्ज सभी वर्तमान प्राथमिकियों की जांच को पश्चिम बंगाल पुलिस से किसी भी स्वतंत्र जांच एजेंसी जैसे एनआईए, सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी को स्थानांतरित करना जो पश्चिम बंगाल सरकार के नियंत्रण में नहीं है। और

ग. मैंडमस या कोई अन्य रिट, आदेश या आदेश जारी करें। मंडमस की प्रकृति में निर्देश, यह निर्देश देते हुए कि वर्तमान याचिकाकर्ता और जी. जे. एम. के अन्य सदस्यों के खिलाफ भविष्य में दर्ज की जाने वाली कोई भी एफ. आई. आर./शिकायतें, जो वर्तमान में चल रहे आंदोलन से संबंधित हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य को हस्तांतरित किया जाए और उसके द्वारा जाँच की जाए

डी. पश्चिम द्वारा पंजीकृत एफ. आई. आर. एस. में वर्तमान याचिकाकर्ता को किसी भी दंडात्मक कदम के खिलाफ अग्रिम जमानत और संरक्षण प्रदान करें। बंगाल पुलिस, जिसका विवरण प्रदान किया गया है

संलग्नक पी-4, उक्त स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा ऐसी जांच के दौरान; और

ई. अग्रिम जमानत और किसी भी जबरदस्ती के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करें। पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा इस तरह की जांच के दौरान दर्ज की गई सभी प्राथमिकियों में वर्तमान याचिकाकर्ता के लिए कदम

स्वतंत्र जाँच एजेंसी ने कहा, और

एफ. वर्तमान याचिकाकर्ता को किसी भी स्वतंत्र पुलिस बल द्वारा प्रदान की गई पुलिस सुरक्षा प्रदान करें, जो इसके नियंत्रण में नहीं है।

वर्तमान याचिकाकर्ता की कीमत पर पश्चिम बंगाल राज्य;

और

जी. इस तरह के आगे या अन्य आदेश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय कर सकता है

उचित और उचित समझते हैं।

18] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और दया याचिका के इस कार्य के लिए

हर बार प्रार्थना करें "

विधानसभा चुनाव। 18.07.2011 पर, पश्चिम बंगाल राज्य, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। स्वायत्त निकाय (गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन-"जी. टी. ए".), विभिन्न विषयों के संबंध में प्रशासनिक, वित्तीय और कार्यकारी शक्तियों के साथ सशक्त। गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन अधिनियम, 2011 को इस क्षेत्र के लिए एक गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था जिसमें तीन उप-मंडल, दार्जिलिंग, कालिमपोंग, कुर्सियांग और सिलीगुड़ी उप-मंडल के कुछ मौज़ा शामिल थे।

दार्जिलिंग जिले में विभाजन और कुछ आकस्मिक मामलों के लिए। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि 15.05.2017 पर, पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों में बंगाली अनिवार्य होगी। गोरखाओं ने इसे अपनी भाषा, अर्थात नेपाली/पर अतिक्रमण के रूप में देखा।

अनुलग्नक पी-4 में याचिकाकर्ता ने बिमल गुरुंग और अन्य के खिलाफ उपलब्ध एफ. आई. आर. की सूची दी है जिसमें 112 एफ. आई. आर. एस. का विवरण दिया गया है, जिनमें से 31 एफ. आई. आर. में याचिकाकर्ता-बिमल गुरुंग का नाम है। एफ. आई. आर. विभिन्न अपराधों से संबंधित हैं आईपीसी के तहत। ; सार्वजनिक संपत्ति के विनाश की रोकथाम अधिनियम; हथियार बीमल गुरुंग v.

भारत और ओआरएस का संघ। [अशोक भूषण, जे।]

अधिनियम; गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967; भारतीय विस्फोटक अधिनियम; डब्ल्यूबीएमपीओ अधिनियम और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम। विभिन्न एफ. आई. आर. में,

अपराधों में धारा 121,121ए, 143,148,149,153ए, 186,189,323,324,325,326,307,332,333,353 और आई. पी. सी. की धाराओं के तहत अपराध शामिल हैं।

4. याचिकाकर्ता का मामला आगे यह है कि याचिकाकर्ता और उसके समर्थकों के खिलाफ झूठी प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि 17.06.2017 पर, पश्चिम बंगाल पुलिस ने जीजेएम समर्थकों और सदस्यों पर गोलियां चलाईं, जिससे निर्दोष जीजेएम समर्थकों की मौत हो गई। 27.06.2017 पर, जी. जे. एम. पार्टी के सदस्य जी. टी. ए. अधिनियम से हट जाते हैं। याचिकाकर्ता और अन्य सभी सदस्यों ने जी. टी. ए. से एकतरफा रूप से इस्तीफा दे दिया है। <ID2 पर, जीजेएम की ओर से याचिकाकर्ता ने गृह मंत्री, भारत सरकार को पत्र लिखकर 17.06.2017 पर हुई तीन व्यक्तियों की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 03.07.2017 पर भी लिखा। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में जून, जुलाई और अगस्त, 2017 में दर्ज विभिन्न प्राथमिकियों का उल्लेख किया है। याचिकाकर्ता ने

आगे कहा कि 18.08.2017 पर, दार्जिलिंग शहर में विस्फोट हुआ,

जिसे पुलिस ने फिर से इस अपराध के लिए याचिकाकर्ता को आरोपित किया और याचिकाकर्ता और अन्य जीजेएम नेताओं के खिलाफ 2017 का एफ. आई. आर. संख्या 182 दायर किया।

याचिकाकर्ता का मामला यह है कि 2017 के एफ. आई. आर. संख्या 182 के समान शब्दों में अलग-अलग एफ. आई. आर. दर्ज की गई थीं। याचिकाकर्ता आगे 01.09.2017 पर GJM समर्थक दावा भूटिया की मौत का उल्लेख करता है, जो एक गोलीबारी में मारा गया था। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि सिक्किम पुलिस ने उपरोक्त संबंध में एस. पी. कलिम्पोंग के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आईडी1 पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन के प्रशासक मंडल का पुनर्गठन किया है और श्री बिनॉय तमांग को नामित किया है

इसके अध्यक्ष के रूप में केवल इसलिए कि उन्होंने राज्य सरकार का पक्ष लिया। बिनॉय तमांग याचिकाकर्ता के करीबी सहयोगी थे। याचिकाकर्ता के साथ कई मामलों में आरोपी। <ID1] पर, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार ने बंद को वापस लेने की अपील की। नतीजतन, बंद को बंद कर दिया गया। लेखन याचिका का संदर्भ

(सीआरएल.) नं. जी. जे. एम. के महासचिव श्री रोशन गिरि द्वारा भी <आई. डी. 2. किया गया था, जहाँ राज्य पुलिस द्वारा जी. जे. एम. द्वारा आंदोलन के 10 समर्थकों की अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं की जांच के लिए इस अदालत के हस्तक्षेप के लिए कहा गया था, जहाँ इस अदालत ने <आई. डी. 1. पर नोटिस जारी किया है।

5. याचिकाकर्ता ने वेस्ट द्वारा दिनांकित 13.10.2017 छापे का भी उल्लेख किया

दार्जिलिंग के पाटलेबास और लिम्बू बस्टी इलाकों में बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों के साथ बंगाल पुलिस, जहां एके-47 राइफलों की बरामदगी पुलिस द्वारा गलत तरीके से दिखाई गई थी। उपरोक्त तथ्यों पर, [2018] 4 एस. सी. आर.

याचिकाकर्ता ने सभी मामलों की जांच को एक स्वतंत्र जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने की मांग की। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि हाल के रुख के आलोक में

तुच्छ मामलों में फंसाया गया है और उनकी सुरक्षा और जीवन के लिए एक आसन्न खतरा है, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। राज्य सरकार और राज्य पुलिस ने गोरखालैंड के सदस्यों और कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से फांसी देकर और 200 से अधिक समर्थकों को घायल करके लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए पूरी तरह से सख्ती से निपटा है। 6. याचिकाकर्ता का सीधे तौर पर 31 प्राथमिकियों में नाम है। याचिकाकर्ता और जीजेएम के सभी सदस्यों के खिलाफ पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह का वास्तविक डर है

और जीजेएम के सदस्यों के खिलाफ की जा रही जांच स्पष्ट रूप से राजनीति से प्रेरित है और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा निर्देशित है। 2017 की एफ़. आई. आर. सं. 182 दिनांक आई. डी. 2 और 2017 की एफ़. आई. आर. सं. 8 दिनांक आई. डी. 1 में एक अन्य पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई भाषा, जो 44 किलोमीटर दूर है, में कथित विस्फोटों की दो अलग-अलग घटनाओं का वर्णन किया गया है। हालांकि, इन दोनों प्राथमिकियों में इस्तेमाल की गई भाषा एक जैसी है जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि एक मसौदा पुलिस को वितरित किया गया है जिसमें उन्हें विस्फोटों से संबंधित प्राथमिकियां दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। रिट याचिकाकर्ता का कहना है कि जीजेएम के 11 सदस्य और समर्थक मारे गए हैं। उपरोक्त तथ्यों पर और

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, रिट याचिका में प्रार्थना की गई है।

7. इस न्यायालय ने 20.112017 पर रिट याचिका में नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि इस बीच याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल राज्य ने बिमल के खिलाफ लंबित 53 मामलों का उल्लेख करते हुए 20.11.2017 के आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया

गुरुंग और 24 विचाराधीन मामले। उपरोक्त आई. ए. का जवाब याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 23.11.2017 पर दायर किया गया है। उत्तरदाता शपथपत्र

प्रत्यर्थी की ओर से सं। 2 2017 के आई. ए. सं. 125288 में याचिकाकर्ता द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के जवाब में 9 को भी दायर किया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा एक विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, जिसके लिए एक जवाबी हलफनामा भी दायर किया गया है।

8. जवाबी हलफनामे में राज्य ने यह मामला उठाया है कि कई मामलों में उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है।

विद्वान सीजेएम, दार्जिलिंग के न्यायालयों द्वारा याचिकाकर्ता। याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 82 Cr.P.C के तहत एक घोषणा भी जारी की गई है।

याचिकाकर्ता बड़ी संख्या में मामलों में वांछित है और उसकी गिरफ्तारी से बचने के लिए, बिमल गुरुंग बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [अशोक भूषण, जे।]

उन्होंने अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की है और पेश नहीं हुए हैं। जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि 56 आपराधिक मामले हैं, जिनमें याचिकाकर्ता का नाम है। ये मामले मई, 2017 से अक्टूबर, 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकियों से संबंधित हैं। पृष्ठ संख्या में उक्त मामलों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। 139 तालिका 1 में जवाबी हलफनामे के 145 तक। जवाबी हलफनामे के पृष्ठ 145 पर तालिका 2 में याचिकाकर्ता के खिलाफ 22 विचाराधीन मामलों का उल्लेख है-बिमल गुरुंग, जो दर्ज किए गए मामलों से संबंधित है।

वर्ष 2007 से 2013 तक उनके खिलाफ। जवाबी हलफनामे के पैरा 7 में, राज्य ने 47 मामलों का विवरण दिया है, जो जून से अक्टूबर में याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं।

2017. 47 मामलों में, जांच पूरी करने के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किए गए हैं, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया सामग्री मिलने का दावा किया गया है। शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (i) (a)/27/35 और विस्फोटक अधिनियम की धारा 3/4 के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 121/121ए/153ए/323/120बी/307/302 के तहत सदर पी. एस. मामला संख्या 213/2017 दिनांक <आई. डी. 1 के संदर्भ में आरोप पत्र में निर्दिष्ट किया गया है।

कौन सा आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा पहाड़ी पर बंगाली भाषा को कथित रूप से थोपे जाने का विरोध किया, हालांकि, सरकार द्वारा इस आशय की कोई अधिसूचना नहीं थी। याचिकाकर्ता के नेतृत्व में जी. जे. एम. ने अपने आंदोलन कार्यक्रम को जारी रखा, जिसने 08.06.2017 पर हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया, जब याचिकाकर्ता-बिमल गुरुंग के नेतृत्व में जी. जे. एम. पार्टी ने भानु भवन, दार्जिलिंग के सामने हिंसक प्रदर्शन किए, जहाँ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हो रही थी। भीड़ ने पहले अवरोधक को तोड़ दिया और दूसरे की ओर बढ़ गई। उन्होंने पत्थर और बम फेंके। जीजेएम के कुछ समर्थकों ने पुलिस पर भी गोलियां चलाईं। गैरकानूनी सभा को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को विभिन्न उपायों का सहारा लेना पड़ा। 7 पुलिस के वाहन, एक पुलिस सहायक बूथ, निजी वाहन और एन. बी. एस. टी. सी. बस को जला दिया गया और उत्तर बंगाल के ए. डी. जी. के पीएसओ सहित कई पुलिस कर्मी घायल हो गए। 15.06.2017 पर, विशिष्ट सूचना मिलने पर, पुलिस दल ने जीजेएम के पार्टी कार्यालय पर छापा मारा।

पैटलेबाश, दार्जिलिंग, जहाँ दो तात्कालिक आग्नेयास्त्र, गन पाउडर [2018] 4 एस. सी. आर.

और अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं को जब्त कर लिया गया। जी. जे. एम. के समर्थकों द्वारा कई मौकों पर पुलिस दलों पर हमला किया गया, जिसकी रिपोर्ट भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दर्ज की गई थी। दार्जिलिंग के जिला मजिस्ट्रेट ने जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए स्थानीय अशांति को देखते हुए नागरिक प्राधिकरण को सहायता के लिए 08.06.2017 पर सेना की मांग की थी।

निवासियों और आगंतुकों से। उस चरण में सेना की सहायता 24.06.2017 तक जारी रही। दार्जिलिंग में 08.07.2017 पर फिर से सेना की मांग की गई और

इसी उद्देश्य के लिए जोरबुंगलो पीएस क्षेत्र। दार्जिलिंग, जोरबंगलो, कुर्सेओंग और मिरिक पुलिस स्टेशन में 18.07.2017 पर फिर से सेना की सहायता की मांग की गई। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान, पहाड़ों में 4 के अलावा सीएपीएफ की 11 कंपनियों की अतिरिक्त टुकड़ी तैनात की गई थी

10. 13.10.2017 पर, पुलिस ने विशिष्ट सूचना मिलने पर, छोटी रंगित नदी के तट पर जंगल में स्थित एक स्थान पर छापा मारा। जहाँ छापे के दौरान याचिकाकर्ता-बिमल गुरुंग और उनकी टीम ने पुलिस पर इस तरह के हमले के कारण पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं, एस. आई. अमिताव मलिक को गोली लग गई और उनकी मृत्यु हो गई। छापेमारी के दौरान, पुलिस ने 09 एके-47 राइफलें, जिलेटिन स्टिक, डेटोनेटर और 1800 जीवित गोला-बारूद जब्त किए। इस तरह की छापेमारी में जब्त की गई वस्तुओं का विवरण पृष्ठ संख्या में पैरा 24 (एचएच) में विस्तृत किया गया है। 50 काउंटर-एफिडेविट के 56 तक। जाँच के दौरान, यह पता चला कि जंगल के बीच में स्थित इस स्थान का उपयोग बिमल गुरुंग के गुर्गों के लिए हथियार प्रशिक्षण शिविर के रूप में किया जाता था। द.

जी. जे. एम. ने जून, 2017 में पूर्ण बंद की घोषणा की और 104 दिनों तक चले बंद के दौरान पुलिस, सी. ए. पी. एफ. और सेना ने अत्यधिक संयम के साथ काम किया और जनता और सरकार के जीवन और संपत्तियों की रक्षा के लिए ही बल का प्रयोग किया। जीजेएम समर्थकों के हिंसक हमले में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 119 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस अवधि के दौरान हिंसक आंदोलनकारियों ने 25 पुलिस वाहनों सहित 76 वाहनों को जला दिया और 17 पुलिस वाहनों सहित 37 वाहनों में तोड़फोड़ की। इसके अलावा उन्होंने 20 पुलिस भवनों/संपत्तियों सहित 168 इमारतों/संपत्तियों में आगजनी की। इसके अलावा, उन्होंने 5 पुलिस संपत्तियों सहित 31 इमारतों/संपत्तियों में तोड़फोड़ की। बंद की पूरी अवधि के दौरान सभी स्कूल और कॉलेज 104 दिनों के लिए बंद रहे। पहाड़ियों में चाय बागान भी बंद हो गए थे जिससे हजारों चाय बागान मजदूरों की आजीविका चली गई थी। बंद ने दार्जिलिंग के विश्व प्रसिद्ध चाय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। बैंड ने बिमल गुरुंग बनाम के संपन्न पर्यटन उद्योग को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

भारत और ओआरएस का संघ। [अशोक भूषण, जे।]

दार्जिलिंग। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और अलीपुरद्वार जिलों में पुलिस पर हमले, गैरकानूनी सभा, आगजनी, दंगे, बम विस्फोट, आग्नेयास्त्रों के उपयोग आदि के कुल 371 मामले दर्ज किए गए हैं। 371 में से

याचिकाकर्ता को 56 मामलों में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। 371 मामलों में से 145 मामले पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू किए गए हैं जबकि अन्य मामले अन्य पीड़ितों की शिकायतों पर शुरू किए गए हैं।

11. जवाबी हलफनामे में याचिकाकर्ता और जीजेएम के अन्य समर्थकों पर आरोप लगाते हुए बम विस्फोट की श्रृंखला का भी आरोप लगाया गया है, जिसके संबंध में कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। जीजेएम समर्थकों के पास है

निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हुए बड़े पैमाने पर हिंसा में लिप्त थे। याचिकाकर्ता, समर्थकों और अन्य उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस पर हमला, आगजनी, दंगे आदि के मामले दर्ज किए गए हैं। याचिकाकर्ता राहत का हकदार नहीं है जैसा कि रिट याचिका में दावा किया गया है। इस आरोप का खंडन किया जाता है कि पुलिस ने याचिकाकर्ता और उसके समर्थकों पर झूठे मामले दर्ज किए हैं। इन आरोपों का भी जोरदार खंडन किया जाता है कि हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी उन हथियारों की बरामदगी थी, जिन्हें पुलिस ने लगाया था। राज्य ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का भी उल्लेख किया है

2017 की रिट याचिका संख्या 15306 में न्यायालय जहां उच्च न्यायालय ने 16.06.2017,07.07.2017,11.07.2017 और 14.07.2017 पर विभिन्न निर्देश जारी किए हैं।

12. राज्य का मामला यह है कि उच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश में कहा है कि दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में स्थिति दिन-प्रतिदिन तेजी से बिगड़ रही है। विद्रोह और हिंसक आंदोलन बेरोकटोक जारी हैं। उच्च न्यायालय ने स्वयं केंद्र सरकार को सीआरपीएफ की चार और कंपनियों को तैनात करने का निर्देश दिया है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैनात किया गया था, जैसा कि बाद में उच्च न्यायालय ने देखा था।

सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने वाली तस्वीरें, जवाबी हलफनामे के साथ विशेष मामलों का उल्लेख करने वाली तस्वीरें भी रिकॉर्ड में लाई गई हैं।

कुछ मालखाने से पुलिस द्वारा। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत बम विस्फोटों के दर्ज मामले सभी झूठे हैं और तब दर्ज किए गए थे जब याचिकाकर्ता को 17.08.2017 पर श्री मदन तमांग की हत्या से निचली अदालत से बरी कर दिया गया था। दावा भूटिया को अवैध रूप से सिक्किम राज्य में प्रवेश करके फांसी दी गई। 01.09.2017 पर, पश्चिम बंगाल पुलिस, पुलिस अधीक्षक श्री यादव के नेतृत्व में, कालिमपोंग सिक्किम के नामची में अंदर चला गया और बिना किसी उकसावे के दावा भूटिया नाम के एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिसके खिलाफ नामची पुलिस स्टेशन द्वारा एस. पी. कालिमपोंग के नेतृत्व वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जवाबी हलफनामे में जीजेएम के कुछ समर्थकों की मौत का भी उल्लेख किया गया है और 11 लोगों के नाम लिए गए हैं।

दी गई, जिसकी कथित रूप से विभिन्न पुलिस कार्रवाइयों से मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादियों ने जीजेएम के निर्दोष समर्थकों पर अत्याचार करना जारी रखा है। यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस अधिकारी याचिकाकर्ता के समर्थकों को चुन रहे हैं और उन्हें आत्मसमर्पण करने और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित नेता के प्रति अपनी निष्ठा बदलने की धमकी दे रहे हैं।

बीमल गुरंग बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [अशोक भूषण, जे।]

14. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. पटवालिया, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. ए. एम. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है।

और श्री कल्याण बनर्जी, विद्वान वरिष्ठ वकील को प्रतिवादियों की ओर से सुना गया है। विद्वान महान्यायवादी भारत संघ की ओर से पेश हुए हैं।

15. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. पटवालिया प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता जो इसके अध्यक्ष और नेता हैं

जीजेएम पार्टी अलग गोरखालैंड राज्य की लंबे समय से चली आ रही मांग के समर्थन में केवल लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन कर रही है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिक्षा मंत्री और पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बंगाली पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में एक अनिवार्य भाषा होगी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि बौद्धिक और साहित्यिक व्यक्तियों द्वारा विचारों के आदान-प्रदान के लिए 30.05.2017 पर बैठक बुलाई गई थी, जिसके संबंध में बिना किसी उकसावे के प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वह आगे प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता और जीजेएम के अन्य सदस्यों के खिलाफ जिन प्रदर्शनों और आंदोलनों के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है, वे झूठे और बिना किसी कारण के थे और केवल याचिकाकर्ता और पार्टी के अन्य सदस्यों को प्रताड़ित करने के लिए थे। वे प्रस्तुत करते हैं कि पुलिस की गोलीबारी में जीजेएम के कई सदस्य मारे गए हैं जबकि याचिकाकर्ता और पार्टी के अन्य सदस्यों के खिलाफ अपने ही समर्थकों की हत्या के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है जो अविश्वसनीय और गलत है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि बम विस्फोट और उसके बाद की कई अन्य प्राथमिकियों से संबंधित 2017 की एफ. आई. आर. शब्द-दर-शब्द समानता के साथ दर्ज की गई थी जो इंगित करती है कि एफ. आई. आर. केवल याचिकाकर्ता और अन्य सदस्यों को शामिल करने के इरादे से यांत्रिक तरीके से दर्ज की गई हैं। सरकार के कहने पर पश्चिम बंगाल पुलिस याचिकाकर्ता और उसकी पार्टी के लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए अलग-अलग अपराधों का आरोप लगाते हुए अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज कर रही थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारी हथियारों और गोला-बारूद की कथित बरामदगी झूठी और फर्जी है। ए. के.-47, हथियार और गोला-बारूद की अच्छी तरह से रखी गई बरामदगी और जिसके लिए

याचिकाकर्ता और पार्टी के अन्य सदस्यों पर दोष लगाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि न तो पश्चिम बंगाल की पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच की जा रही है और न ही याचिकाकर्ता को किसी निष्पक्षता की कोई उम्मीद है

बड़ी संख्या में मामलों की जांच। रिपोर्ट जल्दबाजी में दायर की गई है जो जांच के घटिया तरीके का भी संकेत देती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिन मामलों में पुलिस कर्मियों को एक व्यक्ति की हत्या का आरोपी बनाया गया है, सी. आई. डी. द्वारा जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल तथ्य यह है कि आरोप पत्र में [2018] 4 एस. सी. आर. है।

कुछ मामलों में दायर किया गया है और मुकदमा शुरू हो गया है, जांच को स्थानांतरित करने से इनकार करने का कोई आधार नहीं है। वे प्रस्तुत करते हैं कि यह न्यायालय पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुका है कि केवल आरोप पत्र दाखिल करना और मुकदमा शुरू करना किसी स्वतंत्र व्यक्ति को जांच सौंपने से इनकार करने का कोई आधार नहीं है।

एजेंसी।

16. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि

सभी प्राथमिकियों की जांच किसी भी स्वतंत्र एजेंसी को हस्तांतरित की जाए

17. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने उसकी प्रस्तुति के समर्थन में पश्चिम राज्य में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है। बंगाल और अन्य बनाम लोकतांत्रिक संरक्षण समिति

अधिकार, पश्चिम बंगाल और अन्य, (2010) 3 एस. सी. सी. 571, संजीव कुमार बनाम भारत संघ और अन्य, (2005) 5 एस. सी. सी. 510, धरम पाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (2016) 4 एस. सी. सी. 160 और मिथलेश कुमार सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, (2015) 9 एस. सी. सी. 795।

18. पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दलील का खंडन किया

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों का तर्क है कि वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जहां यह न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत राहत देने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है जैसा कि रिट याचिका में दावा किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने अपने और जीजेएम के अन्य सदस्यों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों की जांच को स्थानांतरित करने की मांग की है। यह याचिका न तो एक प्रतिनिधि है और न ही एक जनहित याचिका है ताकि याचिकाकर्ता जीजेएम के उन सभी सदस्यों के कारण का समर्थन कर सके जो दोषी हैं या जिन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। याचिकाकर्ता की यह प्रार्थना कि भविष्य में किसी भी एफ. आई. आर./शिकायत को स्थानांतरित किया जा सकता है, भी एक ऐसी प्रार्थना है जिस पर विचार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता पर यह दायित्व है कि वह उन मामलों की पहचान करे जिन्हें स्थानांतरित करने की आवश्यकता है और ऐसे प्रत्येक मामले के हस्तांतरण के लिए आधार बनाए। भविष्य की एफ. आई. आर. सहित सभी एफ. आई. आर. को स्थानांतरित करने की प्रार्थना विचारणीय नहीं है। याचिकाकर्ता का प्राथमिक तर्क यह है कि

उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं और वह अपने खिलाफ दर्ज किसी भी मामले में दोषी नहीं हैं। इस तरह के आरोपों के लिए, याचिकाकर्ता के पास सभी कानूनी और तथ्यात्मक बचाव को उठाने का पूरा अवसर है और उसके पास उपाय हैं

दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उपलब्ध है। याचिकाकर्ता को Cr.P.C के प्रावधानों और पूरी प्रक्रिया को दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

19. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अधिकांश मामले जहां इस न्यायालय द्वारा जांच स्थानांतरित की गई है, वे मामले हैं जो पीड़ितों के कहने पर दायर किए गए थे, न कि अभियुक्त द्वारा। इस तरह की संलिप्तता का कारण यह है कि अभियुक्त के पास प्रतिनिधित्व का पर्याप्त अवसर है, जबकि पीड़ित के पास कोई नहीं है, इसलिए, यह पीड़ित के कारण की रक्षा के लिए है कि अदालतों को निष्पक्ष जांच और मुकदमे को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना पड़ता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता उन मामलों में जांच के हस्तांतरण की मांग नहीं कर सकता है जहां आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और मुकदमा शुरू हो चुका है। पूरे राज्य तंत्र के खिलाफ पक्षपात के आरोप निराधार और निराधार हैं। याचिकाकर्ता ने राज्य में उपलब्ध न्यायिक तंत्र के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले गंभीर प्रकृति के हैं और तत्काल रिट याचिका पूरी तरह से याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच को रोकने के लिए दायर की गई है। याचिकाकर्ता का यह कहना कि कुछ प्राथमिकियां शब्द दर शब्द समान हैं, किसी भी तरह से, उन आरोपों की गंभीरता को कम करने के लिए है जिनके लिए प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।

20. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब भी इस न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी केंद्रीय एजेंसी को जांच के हस्तांतरण के लिए शक्ति का प्रयोग किया गया है तो यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर आधारित था। वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, जहां न केवल हिंसक कृत्यों से कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है, जीवन और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। संपूर्ण राज्य तंत्र और न्यायिक प्रणाली पर अविश्वास स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। कोई भी राज्य हिंसक आंदोलन को दबाने और कानून के तहत अनुमत उचित कार्रवाई करने के अपने दायित्व का त्याग नहीं कर सकता है। 21. पुलिस महानिदेशक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी ने श्री द्वारा उठाए गए अनुरोध को स्वीकार किया

कपिल सिब्बल और डॉ. ए. एम. सिंघवी, और वे प्रस्तुत करते हैं कि पुलिस अधिकारी और अधिकारी कानून के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं और यह आरोप कि याचिकाकर्ता के प्रति पुलिस अधिकारियों की ओर से कोई पक्षपात है, निराधार है। याचिकाकर्ता के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं

मई, 2017 से आंदोलन शुरू होने से पहले। याचिकाकर्ता और उसके समर्थकों ने हिंसक आंदोलन करके पूरे क्षेत्र को स्थिर कर दिया था, जिससे निवासियों की जान-माल का नुकसान हुआ था।

22. भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान महान्यायवादी प्रस्तुत करते हैं कि भारत संघ ने सभी आवश्यक सहायता प्रदान की है

[2018] 4 एस. सी. आर. के लिए राज्य को केंद्रीय बल प्रदान करने के लिए राज्य का अनुरोध।

शांति बनाए रखें। विद्वान महान्यायवादी प्रस्तुत करता है कि संघ

सरकार इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी किसी भी निर्देश का पालन करने के लिए हमेशा तैयार है।

23. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

24. इससे पहले कि हम वर्तमान मामले के तथ्यों और रिट याचिका में की गई प्रार्थनाओं का विज्ञापन करें, आवश्यक सिद्धांतों को याद रखना उपयोगी है इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत या उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए स्थानांतरण के लिए गणना की गई

केंद्रीय एजेंसी को आपराधिक मामले की जांच। पश्चिम बंगाल राज्य (ऊपर) में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने आधिकारिक रूप से निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के तहत यह न्यायालय उस राज्य की सहमति के बिना राज्य के भीतर संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए सी. बी. आई. को निर्देश जारी कर सकता है। संविधान पीठ ने उपरोक्त संदर्भ में यह भी अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि इस न्यायालय ने संज्ञेय अपराध की जांच के लिए सी. बी. आई. को हस्तांतरण का निर्देश देने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र निहित किया है, लेकिन उक्त शक्ति का बहुत सावधानी के साथ प्रयोग करने का दायित्व भी है जिसका उपयोग संयम, सावधानी और असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। ऐसी शक्ति के प्रयोग के संबंध में अनुच्छेद 70 में संविधान पीठ द्वारा निम्नलिखित निर्धारित किया गया है:

" 70. मामले से अलग होने से पहले, हम इस बात पर जोर देना आवश्यक समझते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्तियों के बावजूद, कोई भी आदेश पारित करते समय,

न्यायालयों को इन संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग पर कुछ स्व-थोपी गई सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। उक्त अनुच्छेदों के तहत शक्ति की प्रचुरता के लिए इसके प्रयोग में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जहां तक किसी मामले में जांच करने के लिए सी. बी. आई. को निर्देश जारी करने का सवाल है, हालांकि यह तय करने के लिए कोई कठोर दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन बार-बार यह दोहराया गया है कि इस तरह का आदेश नियमित रूप से या केवल इसलिए पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि किसी पक्ष ने स्थानीय पुलिस के खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं। यह असाधारण शक्ति का प्रयोग संयम से, सावधानी से और असाधारण स्थितियों में किया जाना चाहिए जहां विश्वसनीयता प्रदान करना और जांच में विश्वास पैदा करना आवश्यक हो जाता है या जहां घटना के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं या जहां ऐसा आदेश आवश्यक हो सकता है।

भारत और ओआरएस का संघ। [अशोक भूषण, जे।]

पूर्ण न्याय करना और मौलिक अधिकारों को लागू करना। अन्यथा सी. बी. आई. बड़ी संख्या में मामलों से भर जाएगी और सीमित संसाधनों के साथ, ठीक से काम करना मुश्किल हो सकता है।

यहां तक कि गंभीर मामलों की भी जांच करें और इस प्रक्रिया में अपनी जांच खो दें।

असंतोषजनक जाँच के साथ विश्वसनीयता और उद्देश्य "।

25. धरम पाल बनाम राज्य याना और अन्य (ऊपर दिए गए) मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने परिच्छेद 18,19 में जांच के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख किया है।

:

" 18. के. वी. राजेंद्रन बनाम मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ। सुप्ट। पुलिस ने उक्त सिद्धांत को दोहराते हुए कहा किः (एस. सी. सी पी. 485, पैरा 13)

" 13. इस तरह की जांच को स्थानांतरित करने की शक्ति होनी चाहिए

दुर्लभ और असाधारण मामलों में जहां अदालत पक्षों के बीच न्याय करने के लिए आवश्यक समझती है और

जनता के मन में विश्वास पैदा करना, या जहां राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच में विश्वसनीयता की कमी है और 'एक निष्पक्ष, ईमानदार और पूर्ण जांच' के लिए यह आवश्यक है, और

विशेष रूप से, जब जनता को बनाए रखना अनिवार्य है

राज्य एजेंसियों के निष्पक्ष कामकाज में विश्वास।

19. न्यायालय ने पहले के निर्णयों का उल्लेख करने के बाद निम्नानुसार निर्धारित किया हैः (के. वी. राजेंद्रन मामला, एस. सी. सी. पी. 487 , पैरा 17)

" 17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कानून को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि न्यायालय अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर सके।

राज्य से जाँच स्थानांतरित करने की शक्तियाँ

केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही सी. बी. आई. जैसी किसी भी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी को जांच एजेंसी। जैसे कि जहां राज्य प्राधिकरणों के उच्च अधिकारी शामिल हैं, या आरोप स्वयं जांच एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ है जिससे वे प्रभावित हो सकते हैं।

जांच, और आगे यह कि न्याय करना और जांच में विश्वास पैदा करना इतना आवश्यक है या जहां जांच प्रथम दृष्टया दागी/पक्षपाती पाई जाती है।

24. यहां यह ध्यान दिया जाए कि संवैधानिक अदालतें निर्देश दे सकती हैं

किसी अन्य द्वारा आगे की जाँच या जाँच के लिए

जाँच एजेंसी। उद्देश्य यह है कि एक मेला होना चाहिए

जांच और निष्पक्ष सुनवाई। निष्पक्ष सुनवाई काफी हो सकती है।

यह तब तक मुश्किल है जब तक कि निष्पक्ष जांच न हो। हम बिल्कुल [2018] 4 एस. सी. आर. हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी अन्य एजेंसी द्वारा आगे की जांच के लिए निर्देश बहुत कम समय में जारी किया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में दर्शाए गए तथ्य हमें उक्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए मजबूर करते हैं। हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि न्याय का उद्देश्य यह आदेश देता है कि पीड़ित, मृतक के पति के कारण का जवाब दिया जाना चाहिए ताकि न्याय की विफलता से बचा जा सके। इसलिए, इस मामले में मामले का चरण नहीं हो सकता है

शासी कारक।

26. इस प्रकार कानून अच्छी तरह से तय है कि जांच को अन्य जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने की शक्ति का उपयोग दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए जहां अदालत को जनता के दिमाग में विश्वास पैदा करने के लिए पक्षों के बीच न्याय करना आवश्यक लगता है, या जहां राज्य पुलिस द्वारा जांच में विश्वसनीयता का अभाव है। इस तरह की शक्ति का प्रयोग दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए। के. वी. राजेंद्रन बनाम। पुलिस अधीक्षक, सी. बी. सी. आई. डी. दक्षिण क्षेत्र, पुलिस, (2013) 12 एस. सी. सी. 480, इस न्यायालय ने कुछ परिस्थितियों पर ध्यान दिया है जहां न्यायालय अपनी संवैधानिक शक्ति का उपयोग जांच को स्थानांतरित करने के लिए कर सकता है।

राज्य पुलिस से सी. बी. आई. जैसे कि: ((i) जहां राज्य प्राधिकरणों के उच्च अधिकारी शामिल हैं, या (ii) जहां आरोप स्वयं जांच एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ है, जिससे वे जांच एजेंसी को प्रभावित कर सकते हैं। जांच, या (iii) जहां जांच प्रथम दृष्टया दूषित पाई जाती है /

27. इससे पहले कि हम इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों को यह पता लगाने के लिए लागू करें कि क्या वर्तमान मामले के तथ्य दुर्लभ और असाधारण हैं। जहां इस न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत बड़े पैमाने पर मामलों को अन्य एजेंसी को स्थानांतरित करने की शक्ति का प्रयोग करना है, हमें यह विज्ञापन करने की आवश्यकता है कि हमारे संविधान द्वारा संरक्षित लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की प्रकृति और सीमा क्या है, जिसका उल्लंघन किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है।

28. भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 कुछ की गारंटी देता है

नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 19 व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण विशेषताओं की रक्षा करता है। अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 19 (1) (बी) द्वारा संरक्षित शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो वर्तमान मामले के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ-साथ शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार उन अधिकारों की अभिव्यक्ति है जिनकी अभिव्यक्ति कई अवसरों पर प्रदर्शन करने में परिलक्षित होती है। एक बार प्रसारण की स्वतंत्रता बीमल गुरंग बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [अशोक भूषण, जे।]

29. भरत कुमार बनाम केरल राज्य और अन्य मामलों में केरल उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ। , एयर 1997 केर। 291 राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों और बंद पर विचार करने का अवसर मिला। केरल उच्च न्यायालय ने बंद के आह्वान का वर्णन करते हुए कहा कि बंद का आह्वान आम हड़ताल या हड़ताल के आह्वान से अलग और अलग है। बंद का आह्वान करने वालों का इरादा यह सुनिश्चित करना है कि उस दिन कोई भी सार्वजनिक या निजी गतिविधि न हो। पूर्ण पीठ ने अलग माना अनुच्छेद 19 (1) के तहत अन्य व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बंद के पहलू। केरल उच्च न्यायालय की पैराग्राफ 17 पूर्ण पीठ ने निम्नलिखित निर्धारित किया:

" कोई भी राजनीतिक दल या संगठन यह दावा नहीं कर सकता है कि वह पूरे राज्य या राष्ट्र में उद्योग और वाणिज्य को पंगु बनाने का हकदार है और उसके दृष्टिकोण से सहानुभूति न रखने वाले नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने या अपने स्वयं के लाभ के लिए या राज्य या राष्ट्र के लाभ के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकने का हकदार है। ऐसा दावा अनुचित होगा और इसे एक वैध अभ्यास के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है

किसी राजनीतिक दल या उसमें शामिल लोगों द्वारा मौलिक अधिकार। इन मूल याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा राहत के दावे पर इस पृष्ठभूमि में विचार करना होगा। "[2018] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30. उक्त फैसले के खिलाफ इस अदालत में अपील दायर की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एम) बनाम भरत कुमार और अन्य में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। , (1998) 1 एस. सी. सी. 201 ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की। निर्णय की पुष्टि करते हुए पैराग्राफ 3 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया था:

" 3. उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय के अवलोकन पर, जिसका उल्लेख करते हुए अपीलार्थी के विद्वान वकील ने कुछ हिस्सों की ओर इशारा किया, विशेष रूप से पैरा 13 में और

18 उनके समर्थन में ऑपरेटिव भाग सहित

प्रस्तुतियाँ, हम पाते हैं कि निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा "बंद" और आम हड़ताल या "हड़ताल" के आह्वान के बीच किया गया अंतर अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर "बंद" के प्रभाव के संदर्भ में अच्छी तरह से बनाया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि समग्र रूप से लोगों के मौलिक अधिकार इसके अधीन नहीं हो सकते।

किसी व्यक्ति या केवल लोगों के एक वर्ग के मौलिक अधिकार का दावा। यह इस भेद के आधार पर है कि उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि "बंद" बुलाने या लागू करने का कोई अधिकार नहीं हो सकता है जो कई मायनों में राष्ट्रीय नुकसान करने के अलावा अन्य नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रयोग में हस्तक्षेप करता है। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क, विशेष रूप से पैराग्राफ 12,13 और 17 में अंतिम निष्कर्ष के लिए और

पैराग्राफ 18 में दिए गए निर्देश सही हैं जिनसे हम सहमत हैं। हम यह भी देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने एक पर "बंद" के बीच बहुत उपयुक्त अंतर किया है। हाथ और दूसरी ओर आम हड़ताल या "हड़ताल" का आह्वान। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं।

31. जेम्स मार्टिन बनाम केरल राज्य, (2004) 2 एस. सी. सी. 203 में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ, जो एक ऐसा मामला था जिसमें -

राजनीतिक दलों द्वारा प्रायोजित भारत बंद के आह्वान के संदर्भ में, अपीलार्थी पर धारा 304 भाग I, 326 और 324 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था।

आई. पी. सी. की धारा 34 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25-बी (1) के साथ पढ़ा गया और दोषी ठहराया गया। इस मामले पर विचार करते समय इस न्यायालय ने निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां कीं:

" 24. इससे पहले कि हम मामले को छोड़ दें, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हड़ताल या बंद या हड़ताल के नाम पर किसी भी व्यक्ति का कोई बीमल गुरुंग v नहीं है।

भारत और ओआरएस का संघ। [अशोक भूषण, जे।]

किसी अन्य व्यक्ति को असुविधा पहुँचाने या परेशान करने का अधिकार किसी भी तरह से जीवन, स्वतंत्रता के लिए खतरा या आशंका

और किसी नागरिक की संपत्ति या जीवन का विनाश और

संपत्ति, और किसी भी सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति के लिए सबसे कम।

यह सही समय है कि संबंधित अधिकारी गंभीरता से लें

नष्ट करने वालों से निपटने के दौरान इस आवश्यकता पर ध्यान दें

हड़ताल, हड़ताल या बंद के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति। वे।

नियंत्रण से बाहर समग्र स्थिति की दृष्टि न खोएं और जीवन, स्वतंत्रता को खतरे में डालने वाली असहनीय सीमा तक पहुँचना और

नागरिकों और जनता की संपत्ति, जो असामाजिक ताकतों को सक्षम बनाती है

नियंत्रण प्राप्त करने के लिए जिसके परिणामस्वरूप चारों ओर विनाश होता है

सार्वजनिक व्यवस्था की कीमत पर प्रतिकूल परिणाम और

सार्वजनिक शांति। किसी को भी दूसरे को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। बंद या हड़ताल या हड़ताल की आड़ में संपत्ति, चाहे जो भी हो

कारण की घोषित तर्कसंगतता या सवाल यह है कि क्या इसके लिए कोई कानूनी मंजूरी है या नहीं

एक ही। हाथ में मामला वह है जो विनाश का कारण बना

गैरजिम्मेदाराना और जानमाल के नुकसान के कारण

बंद या हड़ताल या हड़ताल के नाम पर कुछ लोगों के अवैध कार्य।

32. अनीता ठाकुर और अन्य के मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ

जम्मू और कश्मीर सरकार और अन्य (2016) 15 एस. सी. सी.

हममे सँ कोन सदस्य डॉ. ए. के. सीकरी छलाह जिनका अवसर भेटल छल

एक समूह द्वारा आयोजित विरोध मार्च के संदर्भ में अनुच्छेद 19

प्ली। अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत प्रदर्शन से निपटने के दौरान

पैराग्राफ 12 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया था:

" 12. हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सराहना कर सकते हैं

ताकि उनकी शिकायतों को हवा दी जा सके और यह देखा जा सके कि उनकी आवाज़

संबंधित हलकों में सुनवाई करना लोगों का अधिकार है। इस तरह

एक अधिकार का पता मौलिक स्वतंत्रता से लगाया जा सकता है जो है

अनुच्छेद 19 (1) (ए), 19 (1) (बी) और 19 (1) (सी) के तहत गारंटी

संविधान से। अनुच्छेद 19 (1) (ए) स्वतंत्रता प्रदान करता है

इस देश के नागरिकों को संबोधित करना और इस प्रकार, यह प्रावधान

यह सुनिश्चित करता है कि याचिकाकर्ता नारा लगा सकते हैं, हालांकि एक में

आक्रामक उपयोग किए बिना शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से

भाषा। अनुच्छेद 19 (1) (बी) इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है और,

इस प्रकार, यह गारंटी देता है कि सभी नागरिकों को इकट्ठा होने का अधिकार है

शांति से और बिना हथियारों के। स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार दिया गया [2018] 4 एस. सी. आर.

अनुच्छेद 19 (1) (डी) के तहत फिर से यह सुनिश्चित किया जाता है कि याचिकाकर्ता शांतिपूर्ण मार्च निकाल सकें। "इकट्ठा होने का अधिकार" है

एक वाक्पटु कथन में खूबसूरती से कैद किया गया है कि "एक

"नमक सत्याग्रह" की भूमि में निहत्थे, शांतिपूर्ण विरोध जुलूस, उपवास-से-मृत्यु और "करो या मरो" कोई न्यायिक अभिशाप नहीं है। इसे शायद ही विस्तार से बताने की आवश्यकता है कि किसी भी लोकतंत्र की एक विशिष्ट विशेषता वैध असहमति के लिए स्थान है। राजनीतिक जीवन का एक पोषित और मूल्यवान पहलू

भारत में प्रत्यक्ष कार्रवाई या शांतिपूर्ण विरोध के माध्यम से शिकायतों को व्यक्त करने की परंपरा है। संगठित, अहिंसक विरोध

मार्च संघर्ष में एक प्रमुख हथियार थे

स्वतंत्रता, और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार अब है

संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है।

33. हालाँकि, इस न्यायालय ने देखा कि अक्सर इस तरह के अपराध गुंडागर्दी, बर्बरता और यहाँ तक कि सार्वजनिक/निजी व्यापार को भी नष्ट कर देते हैं। पैराग्राफ 16 में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

बढ़ रहे हैं। हर तरह के विरोध प्रदर्शन होते हैं: सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर और समाज के विभिन्न वर्गों की विभिन्न प्रकार की मांगों पर। यह भी एक आम आधार बनता जा रहा है कि धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय भाषा, जाति और वर्ग विभाजन का अक्सर हिंसा भड़काने के लिए शोषण किया जाता है जब भी सामूहिक प्रदर्शन या धरना आदि होते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अक्सर ऐसे प्रदर्शनकारी

गुंडागर्दी, बर्बरता और यहां तक कि सार्वजनिक/निजी संपत्ति को भी नष्ट कर दें। इस प्रक्रिया में, जब पुलिस नियंत्रित करने की कोशिश करती है,

प्रदर्शनकारी/भीड़ हिंसक रूप से पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाती है। अनियंत्रित समूह और हिंसक प्रदर्शन इतने आम हैं कि

लोग उन्हें भारतीय लोकतंत्र के एक उपांग के रूप में देखने आए हैं। इन सभी स्थितियों के परिणामस्वरूप अक्सर पुलिस बल का प्रयोग करती है। इससे पुलिस के खिलाफ जनता का गुस्सा और बढ़ जाता है। कश्मीर में ही बहुत कुछ हुआ है।

ऐसे उदाहरण जहाँ अलगाववादी समूहों ने हिंसा को उकसाया है।

इस परिदृश्य में, पुलिस और कानून-प्रवर्तन का कार्य एजेंसियाँ अधिक कठिन और नाजुक हो जाती हैं।

इस तरह के बीमल गुरंग पर अंकुश लगाने में v. भारत और ओआरएस का संघ। [अशोक भूषण, जे।]

हिंसा या गैरकानूनी सभाओं को तितर-बितर करना, पुलिस को करना पड़ता है

अपने कार्य को अत्यंत सावधानी, निपुणता और सटीकता के साथ पूरा करें। इस प्रकार, एक ओर कानून और व्यवस्था को बहाल करने की आवश्यकता है और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह अनावश्यक है।

बल या बल जो बिल्कुल आवश्यक है उससे परे नहीं है

इन स्थितियों से निपटें। कई बार परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। बदसूरत या पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी के कारण नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं

पुलिस कर्मियों को हिंसा और चुनौतियों से निपटने के लिए

उनके अधिकार के लिए। पुलिस नियमावली और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के रूप में विभिन्न दस्तावेज हैं।

अनावश्यक बल के उपयोग को प्रतिबंधित करना और यह अनिवार्य करना कि

बल का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह बिल्कुल आवश्यक हो।

उपयोग किए जाने पर भी, यह न्यूनतम और आनुपातिक होना चाहिए

जैसे ही स्थिति और इसका उपयोग बंद किया जाना है

जीवन और संपत्ति के लिए खतरा कम हो जाता है।

इसमें सार्वजनिक प्रदर्शन करना भी शामिल है लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शन जब हिंसक हो जाता है और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है और लोगों के जीवन को नुकसान पहुँचाना यह अनुच्छेद 19 (1) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों से परे जाता है और कानून के तहत दंडनीय अपराध बन जाता है।

35. आगे की किसी भी चर्चा से पहले हम सावधानी का एक नोट दर्ज करते हैं। वर्तमान मामले में हमें इस बारे में कोई राय व्यक्त करने के लिए नहीं कहा गया है कि याचिकाकर्ता और जीजेएम के अन्य समर्थकों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकियों में लगाए गए आरोप सही हैं या गलत। मुद्दा यह है कि क्या, जैसा कि याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है, ऐसे मामलों में जांच को केंद्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार हमारे

36. उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों का संदर्भ दिया गया है जो कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा लिखित याचिका में पारित किए गए थे 2017 का No.15306 (W)। उक्त रिट याचिका [2018] 4 एस. सी. आर. में उठाई गई शिकायत।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) ने 9 जून, 2017 से बंद का आयोजन किया है, जिससे पहाड़ी क्षेत्र, विशेष रूप से दार्जिलिंग में कामकाज ठप हो गया है। दिनांक 07.08.2017 के आदेश का उल्लेख करते हुए, उच्च न्यायालय ने राज्य को इसी तरह की आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जी. जे. एम. द्वारा अपनाए गए अवैध और व्यवधानकारी उपायों के कारण आवश्यक सेवाओं के कामकाज के संबंध में पहले के निर्देशों का पालन करना। यह दिनांकित 14.07.2017 आदेश का उल्लेख करने के लिए पर्याप्त है जहां कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित पर ध्यान दिया:

" राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने

उन्होंने अपने-अपने शपथ पत्र दाखिल किए। की ओर से शपथ पत्र

केंद्रीय जांच ब्यूरो (संक्षेप में, सी. बी. आई.) ने

अभी तक दाखिल नहीं किया गया है।

दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में स्थिति दिन-प्रतिदिन तेजी से बिगड़ती जा रही है। विद्रोह और हिंसक आंदोलन बेरोकटोक जारी हैं। आम जनता का जीवन और संपत्ति खतरे में है।

XXX

XXX

XXX

दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में स्थिति है

8 जून, 2017 को आंदोलन शुरू होने के बाद से यह बढ़ गया है।

उपरोक्त दो जिलों में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को निर्देश देने के हमारे पहले के आदेशों के बावजूद, यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है।

केंद्र सरकार चाहती है। अन्यथा

सरकारों ने मिलकर काम किया, अब तक स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सकता था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की यह एक-पहल दार्जिलिंग के दो जिलों के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है और

कलिम्पोंग। सार्वजनिक संपत्ति, बिजली प्रतिष्ठान हैं

बड़े पैमाने पर आगजनी और आंदोलन में हताहत होते हैं।

37. उपरोक्त आदेश इंगित करता है कि जिलों में स्थितियाँ

दार्जिलिंग और कलिम्पोंग बिगड़ रहे थे और विद्रोह और हिंसक हो रहे थे। आंदोलन बेरोकटोक जारी रहे। विरोध अब शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक नहीं रहा। जिन अपराधों के संबंध में विभिन्न प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, उनके आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है जैसा कि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है। रिकॉर्ड में जीवन और संपत्ति को गंभीर नुकसान का संकेत देने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

बीमल गुरंग बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [अशोक भूषण, जे।]

38. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने सही तर्क दिया है कि यह कल्पना नहीं की जा सकती है कि पश्चिम बंगाल की राज्य पुलिस ने केवल याचिकाकर्ता और उसके समर्थकों के खिलाफ मामले दर्ज करने के उद्देश्य से पुलिस वाहनों सहित संपत्ति को नष्ट कर दिया है। पुलिस कर्मियों सहित कई व्यक्तियों की मौत दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार की गई है। 300 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं जिनके संबंध में प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। मई, 2017 के बाद दर्ज किया गया।

39. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकियों की जांच को स्थानांतरित किया जाए

अनुलग्नक पी4 के अनुसार जीजेएम के सदस्य। अनुलग्नक पी4 में 112 मामलों का विवरण है जिनमें याचिकाकर्ता का नाम 31 मामलों में है। इन मामलों में आरोप लगाए गए अपराध गंभीर अपराध हैं जिनमें धारा 121,121ए, 153ए के तहत अपराध और गैरकानूनी अधिनियम, 1967 के तहत अपराध के साथ-साथ आईपीसी की धारा 307,302 आदि के तहत अपराध शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में मामलों की जांच का हस्तांतरण न तो व्यावहारिक है और न ही उचित है। मामलों की जांच के हस्तांतरण के संबंध में अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों पर किया जाना चाहिए। उपरोक्त 112 मामलों में कोई आधार उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह न्यायालय सभी मामलों में जांच के हस्तांतरण के लिए अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।

40. याचिकाकर्ता का नाम केवल 31 मामलों में लिया गया है, लेकिन अनुलग्नक पी4 में सभी मामलों में बड़ी संख्या में आरोपी शामिल हैं। जवाबी हलफनामे से और अधिक विवरण रिकॉर्ड में लाया गया है जो इंगित करता है कि 56 मामलों में याचिकाकर्ता आरोपी है और विभिन्न विध्वंसक गतिविधियों के संबंध में मई, 2017 के बाद कुल 371 मामले दर्ज किए गए हैं। हालाँकि, हम स्पष्ट करते हैं कि सैद्धांतिक रूप से जब एक मामले का हस्तांतरण स्वीकार्य है, तो मामलों की संख्या एक से अधिक मामलों के हस्तांतरण में बाधा नहीं हो सकती है। भले ही केवल उन मामलों को ध्यान में रखा जाए जहां याचिकाकर्ता को आरोपी नामित किया गया है, रिट याचिका में ऐसा कोई विशेष आधार नहीं बनाया गया है जिस पर उन मामलों को भी माना जाए।

41. वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है जिसमें जीजेएम के नेता के रूप में याचिकाकर्ता एक अलग राज्य की मांग को लेकर राज्य के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। राज्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के लिए बाध्य है। इसे इस तरह के आंदोलन को रोकने और शांति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। एफ. आई. आर में दर्ज मामले पुलिस या अन्य शिकायतकर्ताओं के कहने पर प्रस्तुत की गई विशिष्ट दलीलों पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि उन्हें पक्षपात [2018] 4 एस. सी. आर. के कारण दर्ज किया गया है।

राज्य का और याचिकाकर्ता को प्रताड़ित करने के इरादे से। "राज्य" एक राजनीतिक इकाई है जिसमें संवैधानिक कर्तव्य और दायित्व निहित हैं। राज्य का राज्यपाल औपचारिक रूप से उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित है और भारत के संविधान के अनुसार उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II, प्रविष्टि I के तहत, "सार्वजनिक व्यवस्था" राज्य को आवंटित एक विषय है। इस प्रकार सार्वजनिक व्यवस्था के संबंध में सभी विधायी और कार्यकारी शक्तियां राज्य में निहित हैं। राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के प्रमुख के रूप में एक मंत्रिपरिषद है, सिवाय इसके कि

जहाँ तक वह संविधान द्वारा या उसके तहत अपने या उनमें से किसी भी कार्य को अपने विवेक से करने के लिए अपेक्षित है। राज्य अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से कार्य करता है जिसमें विभिन्न कर्मचारी और प्राधिकरण शामिल होते हैं। राज्य इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों के तहत कार्यकर्ताओं को उनके अपने अधिकार और दायित्व सौंपे गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता ऐसे कानूनों में से एक है, जो संबंधित कानून को नियंत्रित करती है -

याचिकाकर्ता और जीजेएम के समर्थकों को इस दलील पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि पुलिस थी, जिसने एफ. आई. आर. दर्ज करके याचिकाकर्ता और अन्य समर्थकों को शामिल किया है। किसी भी व्यक्तिगत राज्य पदाधिकारी या पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई पक्षपात या दुर्भावना का अनुरोध नहीं किया गया है और न ही ऐसे किसी व्यक्ति ने

के आरोप पर विचार करने के लिए रिट याचिका में शामिल किया गया पूर्वाग्रह। किसी व्यक्ति के खिलाफ पक्षपात के आरोप लगाना बहुत आसान है लेकिन यह बीमल गुरंग बनाम है।

भारत और ओआरएस का संघ। [अशोक भूषण, जे।]

उसी को साबित करना मुश्किल है। वर्तमान मामले में, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न तो कोई अभिवचन है और न ही कोई सामग्री है कि

पुलिस पदाधिकारी सहित पदाधिकारी याचिकाकर्ता के खिलाफ पक्षपाती हैं। इस प्रकार, राज्य और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ किए गए पक्षपात के आरोपों को खारिज करना पड़ा और याचिकाकर्ता को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियां राज्य या पुलिस कर्मियों के पक्षपात का परिणाम हैं। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य मामलों में संविधान पीठ के फैसले के पैरा 83 में। (ऊपर), निम्नलिखित अवलोकन किए गए थे:

यह कारण कि सूचना मिलने पर पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज करने या न करने का कोई विवेक या विकल्प बचा होना चाहिए। संज्ञेय अपराध करने के बारे में दिया गया है। प्रत्येक संज्ञेय अपराध की कानून के अनुसार तुरंत जांच की जानी चाहिए और संज्ञेय अपराध के बारे में संहिता की धारा 154 के तहत प्रदान की गई सभी जानकारी को प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए ताकि अपराध शुरू किया जा सके। संहिता की धारा 154 की आवश्यकता केवल यह है कि रिपोर्ट में संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा किया जाना चाहिए और यह पर्याप्त है -

जाँच तंत्र को कार्रवाई में लाएं। "

42. याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई दलीलों में से एक यह है कि केवल यह तथ्य कि कुछ मामलों में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है और किसी भी लंबित जांच को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने भरोसा किया है धरम पाल बनाम हरियाणा राज्य (उपर्युक्त) के निर्णय में जहां इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि कुछ गवाहों पर मुकदमा शुरू करना और उनसे पूछताछ करना उच्च न्यायालय और इस न्यायालय में निहित संवैधानिक शक्ति का उपयोग करने के लिए एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जांच सुनिश्चित करने में पूर्ण बाधा नहीं हो सकती है। फैसले के पैराग्राफ 25 में निम्नलिखित कहा गया है:

" 25. हम आगे स्पष्ट कर सकते हैं। नए सिरे से, नए सिरे से या पुनर्निरीक्षण का आदेश देने की शक्ति संवैधानिक [2018] 4 एस. सी. आर. के पास निहित है।

अदालतों में, मुकदमे की शुरुआत और कुछ गवाहों की जांच उक्त संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक पूर्ण बाधा नहीं हो सकती है, जिसका उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है। और सिर्फ जांच। मुझे कभी नहीं भुलाया जा सकता है कि जिस तरह महान महासागर की केवल एक ही परीक्षा होती है, नमक की परीक्षा, उसी तरह न्याय का भी एक स्वाद होता है, समुद्र के संकट का जवाब देने का स्वाद।

बिना किसी भेदभाव के लोग।

43. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार जब मुकदमे के शुरू होने के बाद भी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है

आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के बाद भी जाँच को स्थानांतरित करने की इस न्यायालय की शक्ति में कोई बाधा नहीं हो सकती है, लेकिन ऊपर बताए गए तथ्यों और कारणों को देखते हुए ऐसा कोई मामला नहीं है जहां यह न्यायालय याचिकाकर्ता और जी. जे. एम. के अन्य सदस्यों के खिलाफ बड़ी संख्या में दर्ज मामलों में जाँच को स्थानांतरित करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। एक निर्णय जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया गया है, वह है मिथलेश कुमार सिंह बनाम राज्य का निर्णय। राजस्थान (ऊपर)। उपरोक्त मामला एक ऐसा मामला था जिसमें याचिकाकर्ता की बेटी की चार मंजिला कॉलेज छात्रावास से गिरकर मौत हो गई थी। याचिकाकर्ता इस मामले के साथ आया कि स्थानीय पुलिस द्वारा की गई जांच निष्पक्ष नहीं थी और पुलिस द्वारा लड़की द्वारा आत्महत्या करने का बयान सही नहीं है। उपरोक्त संदर्भ में इस न्यायालय ने कहा कि पक्षपातपूर्ण, प्रेरित, एकतरफा या पक्षपातपूर्ण जांच पर आधारित मुकदमा शायद ही निष्पक्ष हो सकता है। पैराग्राफ 11 और 12 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

" 11. ऐसा होना निष्पक्ष और उचित होने का महत्व है

जाँच, इस न्यायालय ने कई अलग-अलग तथ्य स्थितियों से उत्पन्न होने वाले कई मामलों में अपना प्रयोग किया है

राज्य से जांच हस्तांतरित करने की शक्ति /

केंद्रीय जांच ब्यूरो को अधिकार क्षेत्र की पुलिस

दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत। वहाँ था।

इस तरह के स्थानांतरण का निर्देश देने की इस न्यायालय की शक्ति को दयापूर्वक कोई चुनौती नहीं है और मेरी राय में यह प्रश्न सही है कि क्या इस न्यायालय के पास स्थानांतरण का निर्देश देने का अधिकार क्षेत्र है।

राज्य डब्ल्यू. बी. बनाम में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अधिकृत रूप से तय किया गया है। संरक्षण समिति

लोकतांत्रिक अधिकार (2010 3 एस. सी. सी. 571)।

12. फिर भी शक्ति की उपलब्धता और उसका प्रयोग दो अलग-अलग मामले हैं। यह न्यायालय केवल पूछने के लिए जांच के हस्तांतरण का निर्देश नहीं देता है और न ही स्थानांतरण का निर्देश केवल बी. आई. एम. ए. एल. गुरुंग बनाम.

भारत और ओआरएस का संघ। [अशोक भूषण, जे।]

अहं को संतुष्ट करना या किसी पार्टी की प्रतिष्ठा को सही साबित करना। इस तरह की जांच में रुचि रखते हैं। स्थानांतरण का आदेश दिया जाना चाहिए या नहीं, यह निर्णय न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है।

यह संतोषजनक है कि क्या किसी मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ ऐसे आदेश की माँग करती हैं। सार्वभौमिक अनुप्रयोग के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया गया है या संभवतः निर्धारित किया जा सकता है

सभी मामले। प्रत्येक मामला स्पष्ट रूप से अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय अपना प्रयोग करते हुए

प्रत्यक्ष हस्तांतरण का अधिकार क्षेत्र इसके प्रति संवेदनशील रहता है

सिद्धांत यह है कि स्थानांतरण का आदेश केवल इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि एक पक्ष जांचकर्ता को एक दिए गए निष्कर्ष पर ले जाना चाहता है। यह तभी होता है जब न्याय के बारे में उचित आशंका होती है।

घटिया या पक्षपातपूर्ण होने के कारण पीड़ित होना

जाँच कि न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है और अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अपराध के पीड़ितों या उनके रिश्तेदारों की संवेदनशीलता ऐसी स्थितियों में पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं है। जांच को किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तांतरित करने के बाद

एजेंसी का मतलब यह नहीं है कि हस्तांतरणकर्ता एजेंसी करेगी

जब राज्य पुलिस कुछ महत्वपूर्ण मामलों की जांच करती है तो प्रभाव, दबाव और खींचतान आम बात होती है। द. ऐसे मामलों में बाहरी एजेंसी में स्थानांतरण की मांग करने वाले पक्ष का विश्वास ही उस एजेंसी की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है।

ऐसे या इसी तरह के अन्य विचारों से। यह इस प्रकार है कि

जब तक कि न्यायालय प्रार्थना के पीछे कोई साजिश नहीं देखता है

स्थानांतरण, इसे केवल यह सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए कि सत्य की खोज की गई है। स्थानांतरण की पहचान यह है कि

अंतरिती की किसी भी स्वतंत्रता से अधिक कथित स्वतंत्रता

अन्य विचार। सत्य की खोज अंतिम है।

किसी भी जाँच का उद्देश्य और इसे इससे बेहतर कौन कर सकता है

एक एजेंसी जो स्वतंत्र है "।

44. उपरोक्त एक ऐसा मामला था जिसके तहत रिट याचिका दायर की गई थी।32 पीड़ित द्वारा जो मृतक का पिता है और न्यायालय ने संतुष्ट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध की गई परिस्थितियों की आवश्यकता है।

सी. बी. आई. जैसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अनुदान। उक्त मामला तथ्यों पर आधारित था और वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की मदद नहीं करता है।

45. संजीव कुमार बनाम ओम प्रकाश चौटाला (उपरोक्त) का निर्णय फिर से संजीव कुमार द्वारा दायर एक मामला था, जो हरियाणा राज्य में जे. बी. टी. शिक्षकों के लगभग 4000 पदों को भरने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते थे। संजीव कुमार द्वारा दायर रिट याचिका डब्ल्यू. पी. हैं। (सीआरएल।) 2003 के आई. डी. 1 को इस न्यायालय द्वारा निपटाया गया था जिसमें शिकायत की सी. बी. आई. द्वारा जाँच करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ ऐसे मामले थे जिनकी जाँच चल रही थी और जिन्हें सी. बी. आई. को भी सौंपा गया था। उक्त मामला अपने तथ्यों पर याचिकाकर्ता को समर्थन नहीं देता है।

उचित देखभाल और सावधानी से एकत्र किया गया है, एकत्र नहीं किया गया है, पीड़ित को इस तरह की दोषपूर्ण जांच पर न्याय नहीं मिलेगा। दोषपूर्ण जाँच के मामले में, जहाँ एक अभियुक्त को गलत तरीके से शामिल किया गया है, उसे आगे की जाँच के लिए न्यायालय के समक्ष सभी उपचार लेने का अधिकार है और एक न्यायालय सभी साक्षयों को तैयार करने में सक्षम है और अभिलेख पर साक्षय से सच्चाई को समझने में सक्षम है। यद्यपि एक सिद्धांत के रूप में, एक अभियुक्त पर जाँच के हस्तांतरण के लिए विधि न्यायालय का रुख करने के लिए कोई बाधा नहीं है, लेकिन इस मामले के तथ्यों पर जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हम इसे एक उपयुक्त मामला नहीं मानते हैं जहां यह न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। मामलों को एक स्वतंत्र एजेंसी को हस्तांतरित करें।
वर्तमान मामला

इसे राज्य प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति के उत्पीड़न का मामला नहीं कहा जा सकता है। 47. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है। रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

देविका गुजराल

लिखित

याचिका खारिज की गई।